भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3772
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

साइबर उल्लंघनों का खतरा

3772.श्री पी. सी. मोहनः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बढ़ते हुए डिजिटाइजेशन और साइबर उल्लंघनों के बढ़ते खतरे के आलोक में प्रस्तावित आंकड़ा संरक्षण विधेयक के अंतर्गत नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं;
(ख) डेटा उल्लंघनों के मामले में उपयोगकर्ताओं के लिए क्या प्राथमिक सुरक्षा है;
(ग) इस विधेयक के अंतर्गत आंकड़ों के उल्लंघन अथवा अनधिकृत आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए किन-किन शास्तियोंका प्रावधान किया जाएगा और इन शास्तियों के प्रवर्तन का प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा; और
(घ) नागरिकों के आंकड़ों को विशेषकर बड़े डिजिटल मंचों द्वारा एकत्रित, भंडारित और उपयोग किए जाने की विधि/प्रक्रिया के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ):सरकारकीनीतियोंकाउद्देश्यदेशमेंउपयोगकर्ताओंकेलिएएकखुला, सुरक्षित, विश्वसनीयऔरजवाबदेहसाइबरस्पेससुनिश्चितकरनाहै।
इसदिशामेंएकमहत्वपूर्णकदमडिजिटलव्यक्तिगतडेटासंरक्षणअधिनियम, 2023 ('अधिनियम') काअधिनियमनहैजोडिजिटलव्यक्तिगतडेटाकेसाझाकरणसहितप्रसंस्करणकोविनियमितकरनेकेलिएका नूनीढांचास्थापितकरताहै।
अधिनियममेंप्रावधानहैकिव्यक्तियोंकेव्यक्तिगतडेटाकोवैधउद्देश्योंकेलिएडेटाफिड्यूशरीज़द्वारानोटिस औरसहमतिकेसाथयाकुछवैधउपयोगोंकेलिएसंसाधितकियाजाताहै।डेटाप्रिंसिपलकोऐसे डेटाफिड्यूशरीसेव्यक्तिगतडेटाऔरडेटाफिड्यूशरीद्वाराकीगईप्रसंस्करणगतिविधियोंकासारांशप्राप्तकर नेकाअधिकारहै,जिसेउसनेपहलेसहमतिदीहै।डेटाफिड्यूशरी,व्यक्तिगतडेटाउल्लंघनकी रोकथाम करने केलिएउचितसुरक्षाउपायकरव्यक्तिगतडेटाकीरक्षाकरनेकेलिएबाध्यहै।
किसीभीव्यक्तिगतडेटाउल्लंघनकीस्थितिमें,
डेटाफिड्यूशरीकोडेटासंरक्षणबोर्डऔरप्रत्येकप्रभावितडेटाप्रिंसिपलकोसूचितकरनाहोगा। इसकेअलावा, डेटाप्रिंसिपलद्वाराअपनेअधिकारोंकेप्रयोगकेसंबंधमेंइसतरहकेकिसीभीउल्लंघनयाशिकायतहोने कीस्थितिमेंडेटासंरक्षणबोर्ड,जांचकेबादअधिनियमकेप्रावधानोंकेअनुसारमौद्रिकजुर्मानालगासकताहै।
इस अधिनियममेंअधिनियमकेविभिन्नप्रकारकेउल्लंघनोंकेलिएअलग-अलगमौद्रिकदंडनिर्धारितकिएगएहैं, जिनमेंअधिकतमजुर्मानादोसौपचासकरोड़रुपयेतकहै ।

****